

# स मा ह र ण ल य, कि श न गं ज।

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक- /जि0रा0,दिनांक- /03/2013

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्ता,  
जिला राजस्व प्रशाखा,  
किशनगंज।

सेवा में,

अधीक्षक उत्पाद,  
किशनगंज।

विषय :: वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर तथा कंपोजिट शराब दुकान की खुदरा बिक्री के लिए उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु नई उत्पाद नीति 2007 से संबंधित मार्गदर्शन/अधिसूचना के संबंध में।

प्रसंग :: आयुक्त उत्पाद बिहार, पटना के पत्रांक-691, दिनांक-04.02.2013 एवं पत्रांक-887, दिनांक-11.02.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के पत्रांक-691, दिनांक-04.02.2013 जो आप को सम्बोधित है का निदेश किया जाय, तदनुसार वर्ष-2013-14 में शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु नई उत्पाद नीति 2007 में दिये गये मार्गदर्शन का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (पत्र की प्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 के लिए सभी प्रकार के शराब दुकानों की बन्दोवस्ती के संबंध में कई विभागीय आदेश/अनुदेश आपको प्रेषित किए गए हैं, लेकिन आपके स्तर से की गई कार्रवाई की जा रही कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी जा रही है, जिससे विभागीय निदेश का अनुपालन की कोई जानकारी इस स्तर पर नहीं होती है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय कार्यों के निष्पादन के प्रत्येक मामले में कृत कार्रवाई की सूचना समाहर्ता, किशनगंज को भी दी जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*Eb*

वरीय उप समाहर्ता,  
जिला राजस्व प्रशाखा,  
किशनगंज।

ज्ञापनांक- 367 /जि0रा0, दिनांक-12/10/2013

प्रतिलिपि ::- जिला प्रबंधक (आई0टी0), किशनगंज को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*9/3/13*

वरीय उप समाहर्ता,  
जिला राजस्व प्रशाखा,  
किशनगंज।